भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
13.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1748 का उत्तर

ट्रैकमैन की कमी

1748. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री अजय कुमार मंडल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे का एक ट्रैकमैन कितनी लंबाई (किलोमीटर में) के रेलवे ट्रैक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है;
(ख) रेलवे पटरियों के रखरखाव से संबंधित इंजीनियरिंग कोड का विवरण क्या है और क्या इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उक्त कोड का पालन किया जा रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्तमान में पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे में स्वीकृत, रिक्त और तैनात ट्रैकमैन के कितने पद हैं;
(ङ) क्या भारतीय रेलवे में ट्रैकमैन और अन्य रखरखाव कर्मचारियों की भारी कमी के कारण रेलवे ट्रैक का रखरखाव कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

ट्रैकमैन की कमी के संबंध में दिनांक 13.12.2023 को लोक सभा में श्री रमेश चन्द्र कौशिक और श्री अजय कुमार मंडल के अतारांकित प्रश्न सं. 1748 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय रेल नेटवर्क पर, नियमित रेलपथ अनुरक्षण कार्यों को रेलपथ मशीनों और रेलपथ अनुरक्षकों द्वारा किया जाता है।

भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में रेलपथ के अनुरक्षण हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनका इंजीनियरी विभाग द्वारा अनुपालन किया जाता है।

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक फैलाव और परिचालन की महत्ता को देखते हुए रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रियाएं है। रेलों द्वारा मुख्यतः परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्त पदों को भर्ती एजेंसियों को मांगपत्र देकर भरा जाता है। पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2018-2019 से 2022-2023) और चालू वर्ष (अर्थात् 2023-2024 में 30.09.2023 तक) के दौरान 284060 (अनंतिम) उम्मीदवारों को विभिन्न समूह 'ग' पदों (लेवल 1 सहित) के लिए पैनल पर रखा गया है, जिसमें रेलपथ अनुरक्षकों सहित पूर्व मध्य रेल के लिए 11916 उम्मीदवार (अनंतिम) और पूर्व रेल के 18295 (अनंतिम) उम्मीदवार शामिल हैं।

वर्षों के दौरान परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं में कमी आई है, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

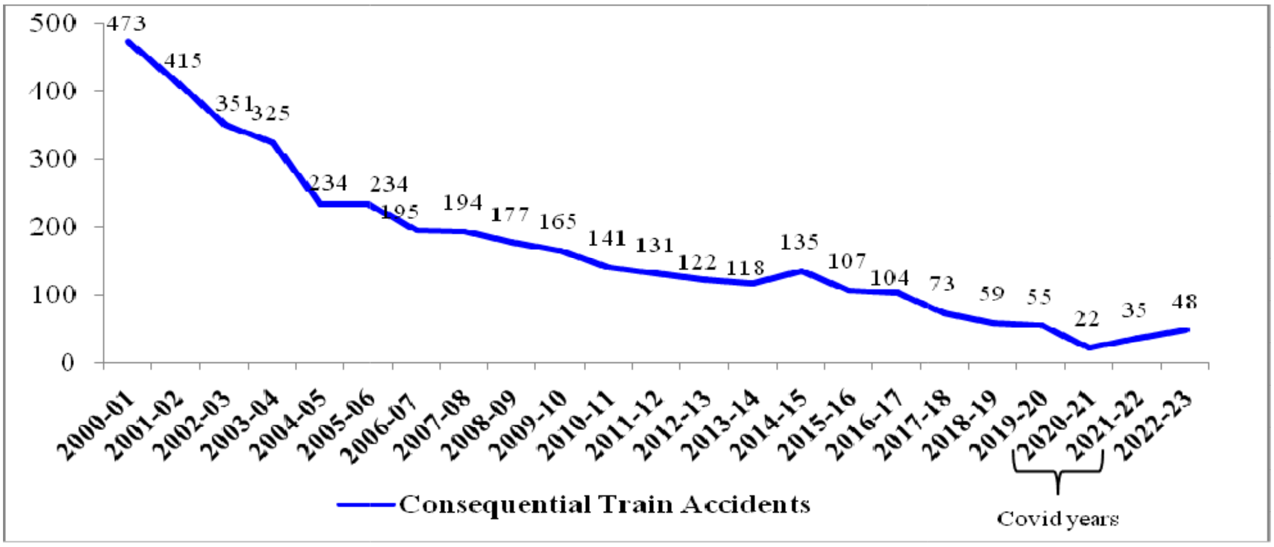

2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की औसत संख्या 171 प्रति वर्ष थी, जबकि 2014-23 की अवधि के दौरान परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की औसत संख्या घटकर 71 प्रति वर्ष हो गई है।

भारतीय रेल द्वारा संरक्षा का परम प्राथमिकता दी जाती है। सरकार द्वारा रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. **2017-18 में 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ महत्वपूर्ण संरक्षा परिसंपत्तियों के बदलाव/नवीकरण/ग्रेडोन्नयन के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का सृजन किया गया था। 2017-18 से 2021-22 तक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष निर्माण-कार्यों पर 1.08 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यय उपगत किया गया था। 2022-23 में, सरकार द्वारा 45000 करोड़ रुपये के सकल बजट सहायता के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की वैधता-अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।**
2. **मानव विफलता के कारण दुर्घटनाओं का उन्मूलन करने के लिए 31.10.2023 तक 6498 रेलवे स्टेशनों पर कांटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली उपलब्ध कराई गई हैं।**
3. **रेल फाटकों पर संरक्षा का संवर्धन करने के लिए 31.10.2023 तक 11137 रेल फाटकों के अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है।**
4. **31.10.2023 तक 6548 रेलवे स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन हेतु संरक्षा का संवर्धन करने के लिए रेलवे स्टेशनों का संपूर्ण रेलपथ परिपथन उपलब्ध कराया गया है।**
5. **सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, प्रत्यावर्तन कार्य प्रोटोकॉल, पूर्णता रेखाचित्र तैयार करना, आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।**
6. **प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपकरणों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।**
7. **लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं।**

8. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए गए हैं जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो सिरोपरि उपस्कर मास्ट से पहले स्थित होते हैं ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर कर्मीदल को आगे के सिगनल के बारे में चेतावनी दी जा सके।

9. कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में रेलइंजन पायलटों के लिए जीपीएस आधारित कोहरा संरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है जो लोको पायलटों को आने वाले स्थान चिह्नों जैसे सिगनल, रेल फाटकों आदि की सटीक दूरी जानने में समर्थ बनाते हैं।

10. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुनिक रेलपथ संरचना का उपयोग किया जा रहा है जिसमें 60 किलोग्राम, 90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरी, पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपर, लोचदार जुड़नारों के साथ सामान्य/चौड़ी सतह वाले स्लीपर, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों पर पंखा-नुमा लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर शामिल हैं।

11. मानवीय चूकों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग द्वारा रेलपथ बिछाने के कार्य का यंत्रीकरण।

12. रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों के वेल्डन से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम बनाना, जिसके द्वारा संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

13. अपेक्षाकृत अधिक लंबे रेलपथ बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डन के उपयोग को कम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वेल्डन तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डन को अपनाना।

14. दोलन निगरानी प्रणाली और रेलपथ अभिलेखी यानों द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।

15. वेल्डन/पटरी में दरार का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाई जाती है।

16. टर्नआउट नवीकरण कार्यों में मोटे वेब स्विच और वेल्डन योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

17. सुरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की निगरानी और उन्हें जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।

18. रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात रेलपथ डेटाबेस और निर्णय सहायता प्रणाली को अपनाया गया है ताकि युक्तिसंगत अनुरक्षण आवश्यकता का निर्णय लिया जा सके और इनपुट को यथेष्ट बनाया जा सके।

19. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, गलियारा ब्लॉक, कार्यस्थल संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

20. रेलगाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने और देशभर में रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।
21. पारम्परिक सडिका डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।
22. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर बिना चौकीदार वाले सभी रेल फाटकों को समाप्त किया जा चुका था।
23. पुलों का नियमित निरीक्षण द्‌वारा रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान आंकी गई दशा के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।
24. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी सूचनाएं" प्रदर्शित की हैं। सभी सवारी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए विभिन्न 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इनमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।
25. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और रसोई यानों में आग संसूचन एवं शमन प्रणाली, नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धुआं संसूचन प्रणाली उपलब्ध करा रही है। क्षेत्रीय रेलों द्‌वारा चरणबद्‌ध विधि से मौजूदा सवारी डिब्बों में भी उत्तरोत्तर इसका फिटमेंट कार्य भी किया जा रहा है।
26. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है।
27. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्‌वारा भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियमों में चलायमान ब्लॉक का सिद्‌धांत प्रारंभ किया गया है, जिसमें अनुरक्षण/मरम्मत/बदलाव के कार्य की चलायमान आधार पर 52 सप्ताह पहले योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार निष्पादन किया जाता है।

*****